कार्यालय :— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक— सामान्य / 2021 / 49 दिनांक : 27.08.2021

:: **आदेश** ::

श्रीमती कंचन सिंह राजावत, विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई.एक्ट प्रकरण सं.—3, भीलवाड़ा का अग्रेषण पत्र क्रमांक 400 दिनांकित 26.08.2021, दिनांक 28.08.2021 व 29.08.2021 की रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित करने बाबत् प्राप्त होने पर दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 14 सपठित धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **माह अगस्त, 2021** के निम्नांकित राजकीय अवकाशों में भीलवाड़ा जिला न्यायक्षेत्र में उत्पन्न होने वाले आवश्यक आपराधिक प्रकरणों यथा रिमाण्ड, जमानत, मृत्युकालीन कथन, मृत्यु समीक्षा एवं अन्य आवश्यक कार्य यथा प्रोटोकॉल आदि के लिए **पूर्व में जारी कार्यालय आदेश कमांक— सामान्य / 2021 / 38 दिनांक 11.06.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए** कॉलम संख्या (2) में अंकित न्यायिक अधिकारीगण को उनके नाम के आगे कॉलम संख्या (4) में अंकित अवकाश की तिथि को अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहकर प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक अपने न्यायालय में बैठकर एवं नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्यदिवस को कार्यालय समय पश्चात से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक मुख्यालय पर रहकर और यदि किसी कारण से नियत तिथि से पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती कार्य दिवस का अवकाश घोषित होता है, तो संबंधित अधिकारी को मुख्यालय पर रहकर उक्तानुसार ही उक्त कार्य सम्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है —

क्र.सं.	नाम अधिकारी व मोबाईल नं.	पद नाम	दिनांक
1.	ऋचा सिंह 9950045100	न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या—2, भीलवाड़ा	28.08.2021
2.	श्रीमती नीति वर्मा 9414756052	विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई.एक्ट प्रकरण सं.—1, भीलवाड़ा	29.08.2021

Sd/-
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा

क्रमांक—सामान्य / 2021 / 2056 दिनांक : 27.08.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, भीलवाडा।
2. श्रीयुत् जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी थानाधिकारियों को रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिए उपर्युक्त दिनांक में अनिवार्यतः प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 तक न्यायालय में ही पंहुचने के लिए निर्देशित करने हेतु।
3. न्यायालय ....
4. अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संस्था, भीलवाडा।
5. सहायक निदेशक, अभियोजन, भीलवाडा
6. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, जिला न्यायालय, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि वह उक्त आदेश को जिला न्यायालय की website पर upload करें।
7. कार्यालय प्रति।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा